THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION GRANTS COMMISSION ACT, 1974

(U. P. ACT NO. 5 OF 1975)

[†*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Uchhatar Shiksha Anudan Ayog Adhiniyam,* 1974]

AN

ACT

to establish a Higher Education Grants Commission and to provide for matters connected therewith

IT is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Grants Commission Act, 1974. Short title.

2. In this Act unless the context otherwise requires— Definitions.

(*a*) 'Chairman' means the Chairman of the Commission, and includes the Vice-Chairman or any other member for the time being performing the functions of the Chairman ;

*[*For* Statement of Object and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)* dated March 27, 1974.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 17, 1974, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 25, 1975.

(Received the Assent of the Governor on March 6, 1975, under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 13, 1975).

(*b*) 'College' means an affiliated college or associated college to whi the privilege of affiliation or recognition as such is granted by University;

(*c*) 'Commission' means the Uttar Pradesh Higher Education Grai Commission establisehd under section 3;

(*d*) 'fund' or 'fund of the Commission' means the fund constitut under section 14;

(*e*) 'Member' means a member of the Commission and includes t Chairman;

(*f*) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

(*g*) 'regulations' means regulations made under this Act;

(*h*) 'university' means a University as defined in clause (20) section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

CHAPTER II

Establishment of the Commission

Establishment of Commission.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by not cation in the *Gazette* appoint, there shall be established a Commission by t name of the Uttar Pradesh Higher Education Grants Commission.

(2) The Commission shall be a body corporate having perpetual succ sion and a common seal, and shall by the said name sue and be sued.

Composition of the Commission.

4. (1) The Commission shall consist of the following members, namel

(*a*) one person, of academic eminence, who is not an officer of State Government, to be appointed by it as Chairman;

(*b*) two persons of academic eminence, one of whom shall be a pers who is or has been Vice-Chancellor of a University to be appointed the State Government;

(*c*) the Secretary to the State Government in the Education Depa ment, *ex officio*; and

(*d*) the Secretary to the State Government in the Finance Departme *ex officio*.

(2) The State Government may nominate one of the members refer to in clause (*b*) of sub-section (1) as Vice-Chairman.

(3) Every appointment under clause (*a*) or clause (*b*) of sub-section shall take effect from the date on which it is notified by the State Governm in the *Gazette*.

(4) An officer referred to in clause (*c*) or clause (*d*) of sub-section may, instead of attending a meeting of the Commission himself, depute officer not below the rank of Joint Secretary in his department or in the c of the officer referred to in clause (*c*); the Director of Education (Hig Education) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the ri to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the ri to vote.

Terms and conditions of service of Chairman and Members.

5. (1) A person appointed as a member of the Commission shall, un he becomes disqualified for continuing as such under the rules that may made under this Act, hold office for a term of three years.

(2) Except in the case of an *ex officio* member no person shall be a mem of the Commission for more than two consecutive terms.

(3) A member of the Commission may resign his office by writing un his hand addressed to the State Government but he shall continue in office u his resignation is accepted by the State Government.

(4) Any casual vacancy in the office of the Chairman or other membe the Commission shall be filled up in the same manner in which the Chair or member whose vacancy is to be filled up was chosen, and such person fil the vacancy shall be the Chairman or other member of the Commission for residue of the term for which the person whose place he fills would have b Chairman or other member as the case may be

(5) The office of the Chairman shall be wholetime, and the terms and conditions of his service shall be such as the State Government may by order direct.

(6) Other members and persons associated with the Commission under section 8 shall be paid such allowances from the fund of the Commission as the State Government may by order direct.

Meetings of the Commission.

6. The Commission shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be provided by regulations.

Acts not to be invalidated by informality, vacancy, etc.

7. No act done or proceeding taken under this Act by the Commission, shall be invalidated merely on the ground of—

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Commission ; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof ; or

(c) any defect or irregularity in such Act or proceeding not effecting the substance.

Temporary association of persons with the Commission for particular purposes.

8. (1) The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations, any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of this Act.

(2) A person associated with it by the Commission under sub-section (1) for any purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose but shall not have a right to vote at a meeting of the Commission.

Staff of the Commission.

9. (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government, on such terms and conditions as the State Government may determine.

(2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act, and on such terms and conditions of service as the Commission thinks fit.

Authentication of orders and other instruments of the Commission.

10. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Chairman or the Vice-Chairman, and all other instruments issued by the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer of the Commission authorised by it in this behalf.

CHAPTER III

Powers and Functions of the Commission

Functions of the Commission.

11. It shall be the general duty of the Commission to take in consultation with the Universities or other bodies concerned, all such steps as it may think fit for the promotion of higher education and research in Universities and in Colleges, and for the purpose of performing its functions under this Act, the Commission may—

(a) inquire into the financial needs of Universities and Colleges ;

(b) allocate and disburse out of the fund of the Commission, such grants to Universities and colleges as it may deem necessary or appropriate for the maintenance or development of such Universities and colleges or of any specified activities of such Universities and colleges or for any other general or specified purpose :

Provided that in making any grant to any such University or college, the Commission shall give due consideration to the development of the University or college concerned, its financial needs, the standard attained by it and the purpose which it may serve ;

(c) recommend to any University measures necessary for the improvement of higher education ;

(d) without prejudice to the pro... advise the State Government on the allocation of any grants to Universities and Colleges for any general or specified purpose out of the Consolidated Fund of the State;

(e) where it appears to it that any grant allocated by it to a College under clause (b) or by the State Government on its recommendation under clause (d) has not been or is not being utilised for the purpose for which it was allocated and wholly or partly disbursed, make such direct arrangements as it may think fit for the proper utilization of the grant for such purpose, including any direct payment for purchase of equipment or direct payment of salaries, and may for that purpose require the College to refund the grants already disbursed or deduct the same from any further grant already allocated or that may be allocated to it;

(f) advise the State Government, if such advice is asked for, on the establishment of a new University or college or on proposals, connected with the expansion of the activities of any University or college;

(g) advise any University, if such advice is asked for through the Chancellor on the establishment of a new college or on proposals connected with expansion of the activities of any college;

(h) advise the State Government or any University on any question which may be referred to the Commission by the State Government or the University, as the case may be;

(i) collect information on all such matters relating to higher education in India and other countries as it thinks fit and make the same available to any University or college;

(j) require a University or college to furnish it with such information as may be needed relating to the financial position of the University or college or the studies in the various branches of learning undertaken in that University or college, together with all relevant information relating to the standards of teaching and examination in that University or college respecting each of such branches of learning;

(k) perform such other functions as may be prescribed or as may be deemed necessary by the Commission for advancing the cause of higher education in the State or as may be incidental or conducive to the discharge of the above functions.

Inspection.

12. (1) For the purpose of ascertaining the financial needs of a University or a college the Commission may, with the consent of the University, cause an inspection of any department or departments thereof to be made in such manner as it may think fit and by such person or persons as it may direct.

(2) The Commission shall communicate to the University its views in regard to the results of any such inspection and may, after ascertaining the opinion of the University, recommend to the University the action to be taken as a result of such inspection.

Payment to the Commission.

13. The State Government may, after the due appropriation made by the State Legislature in this behalf, pay to the Commission, in each financial year, such sums as may be considered necessary for the performance of the functions of the Commission under this Act.

Fund of the Commission.

14. (1) The Commission shall have its own Fund; and all sums which may, from time to time, be paid to it by the State Government, or the Government of India, or any other person (including any body, organisation or foundation) and all the receipts of the Commission (including any sum which the State Government or any other authority or person may handover to Commission), shall be carried to the Fund and all payments by the Commission for performing its functions under this Act shall be made therefrom.

(2) All moneys belonging to the Commission shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to any directions of the State Government, be decided by the Commission.

15. The Commission shall prepare in such form and at such time each year as the State Government direct, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure, and copies thereof shall be forwarded to the State Government. Budget.

16. The Commission shall prepare once every year, in such form and at such time as may be directed by the State Government, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the Government shall cause the same to be laid before both Houses of the State Legislature. Annual Report.

17. (1) The Commission shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account in such form and in such manner as the State Government may, by general or special order direct. Account and Audit.

(2) The Commission shall, as soon as may be after closing its annual accounts, prepare statement of accounts in such form, and forward the same to the Accountant General by such date as the State Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor Generals' (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

(3) The annual accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government and the Government shall cause the same to be laid before both Houses of the State Legislature.

CHAPTER IV

Miscellaneous

18. (1) In the discharge of its functions under this Act, the Commission shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government. Directions by the State Government.

(2) If any dispute arises between the State Government and the Commission as to whether a question is or is not a question of policy the decision of the State Government shall be final.

19. The Commission shall furnish to the State Government such returns or other information with respect to its property or activities as the State Government may from time to time, require. Returns and Information.

20. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, delegate, either unconditionally or subject to such conditions as it thinks fit, to the Commission any of its powers and functions under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, or under rule made under section 17 thereof but excluding the power to make such rules and may at any time modify or withdraw such delegation. Delegation.

(2) The Commission may, delegate, either unconditionally or subject to such conditions as it think fit, to its Chairman, Vice-Chairman or any of its officers, any of its powers and functions, including any powers with regard to the incurring of expenditure in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission but excluding any power or function delegated to it under sub-section (1), and may at any time modify or withdraw such delegation.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Chairman may delegate, either unconditionally or subject to such conditions as he thinks fit, to the Vice-Chairman or the Secretary, any of his powers and functions and may at any time modify or withdraw such delegation.

21. (1) The State Government may, by notification in the official *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(*a*) the disqualifications for continuing as a member of the Commission ;

(b) the additional functions which may be performed by the Commi sion under clause (k) of section 11;

(c) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after the are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is i session for a total period of not less than thirty days, extending in its on session or more than one successive sessions, and shall, unless some later dat is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazett* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legisl ture may, during the said period, agree to make, so however, that any such mod fications or annulment shall be without prejudice to the validity of anythin previously done thereunder.

Power to make regulations.

22. (1) The Commission may make regulations consistent with this Ac and the rules made thereunder for—

(a) regulating the meetings of the Commission and the procedure fo conducting business thereof;

(b) regulating the manner in which and the purposes for which pe sons may be associated with the Commission under section 8;

(c) specifying the terms and conditions of service of the employee appointed by the Commission;

(d) defining the qualifications that should ordinarily be required o any person to be appointed to the teaching staff of a University or colleg having regard to the branch of education in which he is expected t give instruction;

(e) regulating the maintenance of standards and work or facilities ir Universities.

(2) No regulation shall be made under clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-section (1) except with the previous approval of the State Government.

Bar of Suit.

23. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Commission or its Chairman or any member or officer thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

PSUP— A. P. 235 Sa (Vidhayka)—1972—1975—1823 (M).

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1975)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 अगस्त, 1974 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 फरवरी, 1975 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।]

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 6 मार्च, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 मार्च, 1975 ई0 को प्रकाशित हुआ ।

उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये ।

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान] आयोग अधिनियम, 1974 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

2--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-- परिभाषायें

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत उपाध्यक्ष अथवा तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य सदस्य भी है;

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 27 मार्च, 1974 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

(ख) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार दिया जाय;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग से है;

(घ) "निधि" अथवा "आयोग निधि" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन संघटित निधि से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ज) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित विश्वविद्यालय से है।

अध्याय 2

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3--(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित किया जायगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायगा।

आयोग की संरचना

4--(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक व्यक्ति, जो राज्य सरकार का अधिकारी न हो, सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा;

(ख) शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित दो व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो अथवा रहा हो, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, पदेन; तथा

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष नामांकित कर सकती है।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जब वह राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित की जाय।

(4) उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में अभिदिष्ट अधिकारी, आयोग की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उसके विभाग में संयुक्त सचिव से कम न हो, या खंड (ग) में अभिदिष्ट अधिकारी की अवस्था में, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) का हो बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा मत देने का भी अधिकार होगा।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें

5--(1) आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों के अधीन सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह न हो जाय तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) सिवाय किसी पदेन सदस्य की दशा में, कोई भी व्यक्ति दो क्रमवर्ती कार्यकाल से अधिक के लिये आयोग का सदस्य नहीं होगा।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) अध्यक्ष अथवा आयोग के अन्य सदस्य के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी प्रकार की जायगी जिस प्रकार ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति की जानी हो, चुना गया था, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला ऐसा व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिये अध्यक्ष अथवा आयोग का अन्य सदस्य होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान की पूर्ति ऐसा व्यक्ति करे, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होता।

(5) अध्यक्ष का पद पूर्णकालिक होगा और उसकी सेवा के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दें।

(6) अन्य सदस्यों तथा धारा 8 के अधीन सहयुक्त व्यक्तियों को आयोग की निधि से ऐसा भत्ता दिया जायगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे।

6--आयोग की बैठक ऐसे समय तथा स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य सम्पादन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया नियमावली का अनुपालन करेगा जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय। — आयोग की बैठक

7--आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल-- — अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये काय अविधिमान्य नहीं होंगे

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने के कारण अविधिमान्य न होगी।

8--(1) आयोग, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये चाहे, आयोग से सहयुक्त कर सकता है। — विशिष्ट प्रयोजनों के लिये आयोग से व्यक्तियों का अस्थायी सहयोग

(2) किसी प्रयोजन के लिये उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा सहयुक्त व्यक्ति को उक्त प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे आयोग की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

9--(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, नियुक्त किया जायगा। — आयोग कर्मचारिवर्ग

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ जारी किये जायं, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझे, सेवा के ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

10--आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे, और आयोग द्वारा जारी किये गये सभी अन्य संलेख आयोग के सचिव अथवा आयोग द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किये जायेंगे। — आयोग के आदेशों तथा अन्य संलेखों का प्रमाणीकरण

अध्याय 3

आयोग की शक्तियां तथा कृत्य

11--आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संबद्ध निकायों के परामर्श से, ऐसी सभी कार्यवाहियां करे जिन्हें वह विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा तथा शोध की प्रोन्नति के लिये उचित समझे, और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, आयोग-- — आयोग के कृत्य

(क) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच कर सकता है;

(ख) अपनी निधि से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के ऐसे अनुदान जिन्हें वह ऐसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अनुरक्षण या विकास के लिये अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के किन्हीं विनिर्दिष्ट कार्य-कलापों के लिये अथवा किसी अन्य सामान्य या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आवश्यक या समुचित समझे, आवंटित तथा संवितरित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को कोई अनुदान स्वीकृत कराते समय आयोग संबद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विकास, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं, उसके द्वारा प्राप्त स्तर तथा उन प्रयोजनों जिनकी पूर्ति ऐसा अनुदान करे, पर सम्यक रूप से विचार करेगा;

(ग) किसी विश्वविद्यालय को उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिये आवश्यक उपायों की संस्तुति कर सकता है;

(घ) खंड (ख) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य की संहत निधि में से किसी सामान्य अथवा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को कोई अनुदान आवंटित करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दे सकता है ;

(ङ) जहां उसे यह प्रतीत हो कि खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा किसी महाविद्यालय को आवंटित या खंड (घ) के अधीन उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है या नहीं किया जा रहा है जिसके लिये वह आवंटित किया गया या और उसे पूर्णतः या अंशतः संवितरित किया गया है, ऐसे प्रयोजन के लिये अनुदान का उचित उपयोग करने के निमित्त जिसके अन्तर्गत उपस्कर क्रय करने के लिये सीधे भुगतान करना अथवा वेतन का सीधे भुगतान करना भी है, ऐसा सीधा प्रबन्ध कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, और इस प्रयोजन के लिये महाविद्यालय से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पहले से संवितरित अनुदान को वापस करे अथवा उसे पहले से आवंटित किसी अग्रेतर अनुदान में से या आवंटित किये जाने वाले अनुदान से काट सकता है ;

(च) किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना पर अथवा किसी विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों के विस्तार से संवद्ध प्रस्तावों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है ;

(छ) किसी नये महाविद्यालय की स्थापना पर अथवा किसी महाविद्यालय के कार्य-कलापों के विस्तार से संवद्ध प्रस्तावों पर किसी विश्वविद्यालय को, यदि उसके द्वारा कुला-धिपति के माध्यम से सलाह मांगी जाये, सलाह दे सकता है ;

(ज) राज्य सरकार अथवा किसी विश्वविद्यालय को किसी ऐसे प्रश्न पर जो, यथा-स्थिति, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को अभिदिष्ट किये जायें, सलाह दे सकता है ;

(झ) भारत तथा अन्य देशों में उच्चतर शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी विषयों पर सूचना एकत्र कर सकता है जिसे वह उचित समझे और उसे किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को उपलब्ध करा सकता है ;

(ञ) किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से, उसकी वित्तीय स्थिति अथवा उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में विद्या की विभिन्न शाखाओं में दिये जाने वाले शिक्षण से संवद्ध ऐसी सूचना जो आवश्यक हो और उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में विद्या की प्रत्येक ऐसी शाखा के संबंध में अध्ययन स्तर तथा परीक्षा स्तर से संबंधित सभी सूचनायें, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ;

(ट) ऐसे अन्य कृत्य संपादित कर सकता है जो विहित किये जायें अथवा जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये आयोग द्वारा आवश्यक समझे जायें अथवा जो उपयुक्त कृत्यों के संपादन के लिये आनुषंगिक या साधक हों ।

निरीक्षण

12--(1) किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आयोग, विश्वविद्यालय की सहमति से, उसके किसी विभाग अथवा किन्हीं विभागों का निरीक्षण ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, करा सकता है;

(2) आयोग किसी ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचार विश्वविद्यालय को सूचित करेगा और विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है ।

आयोग को धन-राशि संदत्त करना

13--राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा तदर्थ सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात् आयोग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसी धनराशि संदाय करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझी जाय ।

आयोग की निधि

14--(1) आयोग की अपनी निधि होगी, और ऐसी समस्त धनराशि जो उसे, समय समय पर, राज्य सरकार, या भारत सरकार या किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें कोई निकाय, संगठन या प्रतिष्ठान भी शामिल है) द्वारा संदत्त की जाये और आयोग को सभी प्राप्तियां (जिनके अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जिसे राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति आयोग को दे), इस निधि में जमा की जायेगी और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आयोग द्वारा सभी भुगतान निधि से किये जायेंगे

(2) आयोग का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किया जायेगा अथवा ऐसी रीति से विनिहित किया जायगा जैसा आयोग, राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुये निश्चित करे।

15--आयोग, प्रति वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे, और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेसित की जायेंगी। बजट

16--आयोग, प्रति वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के अपने कार्य-कलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायगा, और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेसित की जायेंगी और सरकार उन्हें राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी। वार्षिक रिपोर्ट

17--(1) आयोग अपने लेखे के संबंध में, ऐसी लेखा-बहियां तथा अन्य बहियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, रखवायेगा। लेखा तथा लेखा परीक्षा

(2) आयोग, अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथा शक्यशीघ्र, लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को ऐसे दिनांक तक अग्रेसित करेगा, जैसा राज्य सरकार, कम्पट्रोलर ऐण्ड आडिटर जनरल्स (ड्यूटीज, पावर्स ऐण्ड कंडिशन्स आफ सर्विस) ऐक्ट, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे;

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और तत्संबंधी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेसित की जायेगी और सरकार उन्हें राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

18--(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में आयोग का नीति-विषयक प्रश्नों पर पथ-प्रदर्शन ऐसे निदेशों से होगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे दिये जायं। राज्य सरकार द्वारा निदेश

(2) यदि राज्य सरकार और आयोग के बीच इस बात पर कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई प्रश्न नीति विषयक प्रश्न है या नहीं तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

19--आयोग, राज्य सरकार को अपनी सम्पत्ति अथवा कार्य-कलापों के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियां अथवा अन्य सूचना, जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा। विवरणियां तथा सूचना

20--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन अथवा उसकी धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को, किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसे नियम बनाने की शक्ति नहीं है, आयोग को प्रत्यायोजित कर सकती है और ऐसे प्रत्यायोजन में किसी भी समय परिष्कार कर सकती है अथवा उसे वापस ले सकती है; प्रत्यायोजित करने की शक्ति

(2) आयोग, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अपने किसी अधिकारी को, अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को, जिनके अन्तर्गत आयोग के कार्यालय तथा आन्तरिक प्रशासन को बनाये रखने के सम्बन्ध में कोई व्यय करने की शक्ति भी है, किन्तु जिनके अन्तर्गत उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित कोई शक्ति या कृत्य नहीं है, प्रत्यायोजित कर सकता है और ऐसे प्रत्यायोजन में, किसी भी समय, परिष्कार कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन रहते हुये अध्यक्ष या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे उपाध्यक्ष तथा सचिव को, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है और ऐसे प्रत्यायोजन में किसी भी समय परिष्कार कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

21--(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है; नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:--

(क) आयोग के सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अनर्हतायें,

(ख) ऐसे अतिरिक्त कृत्य जो आयोग द्वारा धारा 11 के खंड (ट) के अधीन सम्पादित किये जायें;

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो अथवा जो विहित किया जा सके;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

22—(1) आयोग इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत ऐसे विनियम बना सकती है जो:—

(क) आयोग की बैठकों को और उसके कार्य-संचालन की प्रक्रिया को विनियमित करे;

(ख) ऐसी रीति जिसमें तथा उन प्रयोजनों को जिनके लिये व्यक्ति धारा 8 के अधीन आयोग से सहयुक्त किये जायें विनियमित करे;

(ग) आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तों को विनिर्दिष्ट करें;

(घ) ऐसी अर्हताओं, जिनकी अपेक्षा ऐसे व्यक्ति से, जो किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापकवर्ग में नियुक्त किया जाने वाला हो उस शिक्षा-शाखा को ध्यान में रखते हुये जहां उसे संशिक्षण देना हो, साधारणतया की जाय, को निर्धारित करे;

(ङ) विश्वविद्यालयों में स्तर तथा कार्य अथवा सुविधाओं को बनाये रखने को विनियमित करे;

(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अधीन कोई विनियम नहीं बनाया जायगा।

वाद का वर्जन

23—राज्य सरकार अथवा आयोग अथवा उसके अध्यक्ष अथवा उसके किसी सदस्य अथवा अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 234 सा0 (विधा0)—1971—1975—1,105(मे0)